न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर

(न्याय निर्णयन अधिकारी : दीपेन्द्र सिंह राठौर, आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या : 52/2023 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री जमनालाल डांगी पुत्र श्री मांगीलाल डांगी विक्रेता एवं मालिक मैसर्स, किसान मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट प्लॉट न. 7 पाठो की मगरी सेवाश्रम चौराया उदयपुर स्थाई पता गांव जूनावास खेमली तह.मावली मो. 9414274413

—विपक्षी

उपस्थित

1. श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।
2. श्री महिपाल सिंह अधिवक्ता विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, नियम 2011

●निर्णय●

दिनांक 28-03-2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ5(1)चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 02.12.2022 के अनुसरण श्री नरेन्द्रसिंह चौहान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद मे राज्य सरकार है द्वारा उक्त विपक्षी पर सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है कि राज्य सरकार की ओर से वे दिनांक 12.01.2023 को 12.30 पी.एम. बजे वास्ते चेकिंग मैसर्स, किसान मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट प्लॉट न. 7 पाठो की मगरी सेवाश्रम चौराया उदयपुर पर पहूँचा, वहॉ विपक्षी श्री जमनालाल डांगी उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स, किसान मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट प्लॉट न. 7 पाठो की मगरी सेवाश्रम चौराया उदयपुर का विक्रेता होना बताया। विक्रेता से फर्म का अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन मांगा जो उपलब्ध पाया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक डी–फ्रिज में प्लास्टिक की कैनों में करीब 60 लीटर दुध आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। पुछने पर विक्रेता ने गाय का दूध होना बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

वास्ते रखे पाये दूध को प्लीजर की सहायता से अच्छी तरह से मिलाकर एकरूप करके 2 लीटर गाय का दुध वास्ते जॉच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर VA पर दी। क्रय शुदा दुध की कीमत विक्रेता के बताये अनुसार 90 रू. चुका रसीद प्राप्त की।

प्रार्थी ने अपने आवेदन मे उल्लेख किया कि उक्त क्रयशुदा 2 लीटर दुध को विक्रेता तथा गवाहन की उपस्थिति में प्लास्टिक की 4 साफ, सूखे व खाली जारों मे बराबर मात्रा (प्रत्येक जार मे करीब 500 एम.एल.) मे भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक जार में डालकर इनका मूँह ढक्कन से एयरटाईट बंद कर नियमानुसार सीलबंद किया। प्रत्येक जार पर लेबल चिपकाया व लेबल पर नमूना कोड व क्रमांक, नमूना लेने की दिनांक एवं स्थान, नमूने की किस्म अंकित कर हस्ताक्षर किये एवं विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें एवं जार को सील कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप नम्बर **ए.ए–2105** का एक–एक भाग प्रत्येक नमूनो के जार पर पेंदे से शीर्ष तक चिपका कर सील बंद नमूनो के जार पर खाद्य कारोबारकर्ता के पेपर स्लीप व रेपर पर नियमानुसार क्रॉस हस्ताक्षर कराये एवं नमूने की सील भागो को कब्जे मे लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 6 की प्रति के आउटकवर मे सील कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ मे फार्म न. 6 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित था एक लिफाफे मे सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के एक सील बंद भाग को मय फार्म न.6 की प्रतियों के आउटकवर मे सील बंदकर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर को जमा कराई व नमूने के चौथे भाग को फार्म न.6 की प्रति के साथ आउटर कवर मे सील बंद कर अभिहित अधिकारी को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/2572 दिनांक 10.02.2023 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर की रिपोर्ट न. एलएस/21/एक्ट/2023/21 दिनांक 24.01.2023 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। क्योंकि Milk Solids not fat Should Be 8.3% min. होना चाहिए था कि जगह 6.73% पाया गया। विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है। अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/2566 दिनांक 10.02.2023 के द्वारा विक्रेता को धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील हेतु

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूनो की पत्रावली अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उदयपुर के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/7203 दिनांक 18.7.2023 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस को न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। आरोपी फर्म का टर्नऑवर 12 लाख रूपये वार्षिक से अधिक है।

कार्मिक (क–4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो मे कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार है, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्यक्षेत्र के लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई हेतु नियत तिथि को आरोपी मय अधिवक्ता ने न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा उक्त दूध को गन्तव्य स्थान तक लाने का कार्य किया जा रहा था। माल मटेरियल बाबत् कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है तथा इस निमित विपक्षी का कोई दोष किसी भी आयद नहीं होता है जिससे विपक्षी को उक्त प्रकरण में गलत रूप से आलिप्त किया गया है तथा उसका वाहन गलत रूप से सीज किये जाने से वाहन के अभाव में काफी आर्थिक नुकसान एंव मानसिक सन्ताप झेलना पड रहा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा ही संचालित करके माल–मटेरियल के स्वामी द्वारा बताये गए स्थान पर पहुंचाने के लिए ले जाया जा रहा था जिसे गलत रूप से पुलिस द्वारा नाकाबन्दी के दौरान विपक्षी के वाहन सहित सीज कर उनकी तहवील में लेते हुए डिटेन कर दिया गया। उक्त कार्यवाही पूर्णतया गलत होने से उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाया जाना व उसका वाहन रिलीज कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 को दोषमुक्त किये जाने एवं उसके सीज किये गये वाहन कार रिलीज किये जाने का आदेश न्यायहित में फरमाया जावे।

प्रकरण मे उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा जवाब में गलत तथ्य बताये गये। सेम्पल लेने की कार्यवाही दिनांक 12.01.2023 को 12.30 पी.एम. बजे मैसर्स, किसान मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट प्लॉट न. 7 पाठो की मगरी सेवाश्रम चौराया उदयपुर पर की गई थी। वहॉ विपक्षी श्री जमनालाल डांगी उपस्थित पाये गये, जिन्होने स्वयं को मैसर्स, किसान मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट प्लॉट न. 7 पाठो की मगरी सेवाश्रम चौराया उदयपुर का विक्रेता होना बताया, उनके समक्ष ही सारी कार्यवाही की गई जिसमें स्वंय विपक्षी जमनालाल के हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में मेरे द्वारा कोई वाहन को सीज नहीं किया गया है, जानबुझकर गलत जवाब पेश किया गया है अतः प्रकरण स्वीकार कर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
उदयपुर (राज.)

आरोपी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे। आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब को ही बहस माना जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी के जवाब पर मनन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक डी–फ्रिज में प्लास्टिक की कैनों में करीब 60 लीटर दुध आम जनता को बिक्री वास्ते रखा पाया। पुछने पर विक्रेता ने गाय का दूध होना बताया। इसमें सबस्टेण्डर्ड/अनसेफ की शंका होने से आम जनता को बिक्री वास्ते रखे पाये दूध को प्लीजर की सहायता से अच्छी तरह से मिलाकर एकरुप करके 2 लीटर गाय का दुध वास्ते जॉच हेतु एक साफ, सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी मे वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया। जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर V A पर दी। नियमानुसार सीलबंद कर जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को वास्ते विश्लेषण प्रेषित किया गया। **खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया। क्योंकि Milk Solids not fat Should Be 8.3% min. होना चाहिए था कि जगह 6.73% पाया गया।**

मामले मे यह भी कहना उचित होगा कि कोई भी उपभोक्ता उसके स्वास्थ्य लाभ के लिये विश्वास के आधार पर खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता से खाद्य उत्पाद को क्रय कर उसका सेवन/उपयोग करता है एवं प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता/खाद्य निर्माता का यह दायित्व है कि वह ग्राहको के हितों को ध्यान मे रखते हुये खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मापदण्ड़ एवं दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना करे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 मे सबस्टेण्डर्ड के मामलों मे अधिकतम राशि 5,00,000/– शास्ति का प्रावधान अंकित हैं। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान मे रखते हुए एवं मामले की प्रकृति को देखते हुए आरोपी अधिकाधिक शास्ति के दण्ड से दंडित किये जाने योग्य है।

चूंकि प्रकरण मे आरोपी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध कारित होने से आरोपी को कुल राशि ₹60,000/–रु अक्षरे रूपया साठ हजार मात्र के आर्थिक दण्ड़ से दण्ड़ित किया जाता हैं एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थो का निर्माण/विक्रय न करें। विपक्षी अभियुक्त जुर्माना राशि "न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर" के नाम जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा चालान के माध्यम से एक माह मे आवश्यक रूप से जमा करावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दीपेन्द्र सिंह राठौर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
उदयपुर (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर (राज.)